राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2377 / 2011 / कोटा.

मैसर्स दामोदरटेक इन्टरनेशनल प्रा0 लिमिटेड,
239, बृजराजपुरा, कोटा. ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24 / 02 / 2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर केम्प–कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 68 / वेट / 2010–11 / कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 9.9.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा के आदेश दिनांक 26.2.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, जिसे आलौच्य अवधि में मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जिसे आगे **'NPCIL'** कहा जायेगा) रावतभाटा एटॉमिक पॉवर स्टेशन 1 से 6 द्वारा वर्क ऑर्डर संख्या 61957 No. RAPS-1 to 6/RRS/Elect. (G.S.)92240/2009S/1119 दिनांक 02.02.2009 से Work order for "Supply, installation, testing and commissioning of electric system and electrical equipments required for 33/11KV substation at residential colony of NPCIL, Rawatbhata Rajasthan. The value of the work works out to Rs. 3,79,09,406/- inclusive of Service tax प्राप्त हुआ है तथा Work Order No. 61983 No. RRS/GS/E;ect/Cpmst//92240/S/126 दिनांक 12.03.2009 से Work order for "Supply, transportation, handling and storage at site, erection, testing and commissioning of 33 KV two separate over head lines from

लगातार.............2

230/33/KV Sub-station of RAPP-5&6 plant site to residential colony at NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site. The value of the work works out to Rs. 7,25,63,325/- inclusive of Service tax प्राप्त हुआ। दोनों ही कार्य संविदाओं के क्लॉज 1.1 व 2.0 इस प्रकार हैं :–

प्रथम कार्य के लिये –

1.1 - Item No. 1.6.1, 1.8.1 to 1.8.10, 1.8.12, 1.8.14, 1.9.1, 1.9.2.1, 1.11, 1.12, 2.2, 2.8.1 to 2.8.10, 3.1, 3.3 to 3.11, 4.1.1 to 4.4.1.2, 4.4.3.1, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.5, 4.7.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 6.21.1, 6.21.2, 6.32, 6.33.5, 6.40 are AHR, Execution of these item shall be done @ your quoted rate up to 125% of respective item. In case any of such item exceeds then individual item rate shall be payable at NPCIL estimated rates. However, as agreed you shall offer suitable rebate on completion of contract to remain the lowest bidder (refer letter no. 1042 A dated 18-11-2008)

2.0 - The contract is for finished item of work (which includes supply of material, labour, fabrication, installation and commissioning) as per the referred tender specifications and schedule of quantities.

द्वितीय कार्य के लिये –

1.1 - Item No. 6, 13, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2 and 15.3 are AHR, Execution of these item shall be done @ your quoted rate up to 125% of respective item. In case any of such item exceeds then individual item rate shall be payable at NPCIL estimated rates. However, as agreed you shall offer suitable rebate on completion of contract to remain the lowest bidder (refer letter no. 1056-T/2008 dated 29.01.09)

2.0 - The contract is for finished item of work (which includes supply of material, labour, fabrication, installation and commissioning) as per the referred tender specifications and schedule of quantities.

इन कार्यों को अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (63)एफडी/टैक्स/2005–808 दिनांक 11.8.2009 (जिसे आगे **'अधिसूचना'** कहा जायेगा) की सूची के आईटम नं0 3 "works contract relating to installation of [illegible]

order for "Supply, transportation, handling and storage at site, erection,

पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अवार्डेड कार्य अधिसूचना की क्रम संख्या 3 के तहत नहीं मानकर आईटम संख्या 4–Any other kind of works contract not covered by item no. 1, 2 & 3. में Rate of E.C. 3.00% of the total value of the contract निर्धारित करते हुए आदेश दिनांक 26.2.2010 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित इस आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कार्य संविदा पावर सप्लाई के लिये मशीनरी स्थापित करने हेतु किया गया है। अग्रिम कथन किया कि Oxford Advanced Learner's Dictionary अनुसार Machine का अर्थ Appliance or mechanical Device with parts working together to apply power, often steam or electric power" तथा Legal and Commercial Dictionary अनुसार Machine includes prime movers, transmission machinery and all other appliances where by power is generated, transformed, transmitted or applied (Factory Act 1948 Sec. 2(j)) अनुसार अपीलार्थी को अवार्डेड कार्य अधिसूचना के आईटम नं0 3 के तहत मशीनरी की श्रेणी में आने के कारण इस पर E.C. शुल्क 2.25% की दर से देय है। कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश अविधिक होने के कारण अपास्तनीय हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम. एम. शर्मा ने कथन किया कि अधिसूचना के आईटम संख्या 3 में मशीनरी के साथ PSPO को भी शामिल किया गया है। PSPO (Power System Planning and Operation). The electric power system is defined as the system with the good to generate and to transmit the electric power user via the transmission system to the electric power end users शामिल है।

इसलिए अपीलार्थी को अवार्डेड कार्य संविदा अधिसूचना के आईटम संख्या 3 में शुमार होने के कारण आईटम नं0 4 के तहत आधारित E.C. Fee @ 3.0% अविधिक है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.............4

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि Work orders के अनुसार अपीलार्थी को Power generation हेतु Contract नहीं है, बल्कि Supply, installation, testing & commissioning of Electric system & Electric equipments required for 33/11KV substation at residential colony तथा Supply, installation, testing and commissioning of electric system and electrical equipments required for 33/11KV substation at residential colony of NPCIL है। ये कार्य मशीनरी स्थापना या PSPO से सम्बन्धित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अधिसूचना के आईटम संख्या 3 में अवधारित नहीं कर आईटम संख्या 4 के तहत निर्धारित किया है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गई है, जो कि विधिसम्मत है, अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने जवाबुल जवाब में कथन किया कि अपीलार्थी को awarded work order में संलग्न 'जी' शिड्यूल अनुसार कार्य मशीनरी स्थापना से सम्बन्धित होने के कारण अपील स्वीकार योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कार्य आदेशों के 'जी' शिड्यूल अनुसार Finished Goods के Supply व installation व अन्य अनुषंगी कार्य है। कार्यादेश संख्या 61983 में 'जी' शिड्यूल के क्रम संख्या 1–8 तक माल सप्लाई व क्रम संख्या 9–16 तक माल व installation etc. के कार्य हैं। इसी प्रकार कार्यादेश संख्या 61957 में क्रम संख्या 1 से 1.8.14 तक माल सप्लाई तथा 1.9 में Earthing System 1.10 में Steel supply से सम्बन्धित है। इस प्रकार 'जी' शिड्यूल को समग्रता से देखने से प्रतीत होता है कि कार्यादेशों में मशीनरी स्थापना से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना की आईटम संख्या 4 में कार्यादेश से सम्बन्धित होने के कारण तदनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने E.C. Fee निर्धारण विधि अनुकूल किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उसकी पुष्टि कर कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

24.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
24/02/14